

नियम 63 : गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत गैर निवासी कराधेय व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-5 में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसके अंतर्गत जावक प्रदायकों और आवक प्रदायकों के ब्यौरे सम्मिलित हैं तथा वह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम के अधीन या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का कर अवधि के अंत से 20 दिन के पश्चात् या रजिस्ट्रीकरण अवधि की विधिमान्यता के अंतिम दिन के पश्चात् 7 दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, संदाय करेगा।
